

भारत सरकार  
मानव संसाधन विकास विभाग  
(माध्यमिक शिक्षा निदेशालय)

निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)  
सह-संयुक्त सचिव,  
भारतखंड, रांची।

क्षेत्रीय निदेशक,  
पूर्वी क्षेत्रीय समिति  
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद,  
15, नीलकंठ नगर, नयापल्ली,  
भुवनेश्वर-751012

रांची, दिनांक 23/02/2013

विषय:- आसु किस्कु मेमोरियल एण्ड रवि किस्कु टीचर्स ट्रेनिंग इन्स्टीच्युट, लुपुगडीह, चांडिल, सरायकेला-खरसावा को वी0एड0 की पढाई हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपयुक्त विषयक, आपके पत्रांक-6749 दिनांक-28.03.2011 के आलोक में कहना है कि राज्य के अन्तर्गत प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा संचालित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता हेतु निम्नांकित शर्तों के साथ सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त आसु किस्कु मेमोरियल एण्ड रवि किस्कु टीचर्स ट्रेनिंग इन्स्टीच्युट, लुपुगडीह, चांडिल, सरायकेला-खरसावा को शिक्षक प्रशिक्षण (वी0एड0) की पढाई प्रारंभ करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने का निर्णय लिया गया है-

1. विभागीय संकल्प संख्या-402 दिनांक-12.02.2007 की कंडिका 6 में निहित प्रावधानों के अनुरूप इस संस्थान को प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई आर्थिक सहायता देय नहीं होगा। संस्थान को उपर्युक्त प्रावधान के अनुपालन एवं पूर्णतः स्व वित्तपोषित कार्यक्रम की शर्त के साथ यह अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है।

2. महाविद्यालय प्रबंधन राज्य सरकार द्वारा भविष्य में वी0एड0 कॉलेज के संबंध में निर्गत होने वाले सभी निदेश/परिपत्र का अक्षरशः धालन करेंगे।

3. राज्य सरकार का यह अनापत्ति प्रमाण पत्र मात्र वैधान्तिक तहसील महाविद्यालय पर्यंत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त कर संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करने के परचात ही राज्य सरकार की अनुमति से महाविद्यालय में प्रौद्योगिक कार्यक्रम प्रारंभ करेगा।

4. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानक के अनुसार प्रत्येक सत्र में शिक्षक के लिए न्यूनतम अर्हता वाले अभ्यर्थियों का ही नामांकन करेगा।

5. नामांकन हेतु आवेदन पत्र समाचार पत्रों में प्रकाशित कर राज्य सरकार के सैदापिक आरक्षण कोटि के अनुसार प्रत्येक कोटि के मेधा सूची तैयार करेंगे तथा एक प्रतीक्षा सूची तैयार करेंगे तथा इसके आधार पर ही नामांकन किया जायेगा।

6. प्रशिक्षण सत्र के संबंध में महाविद्यालय राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित दिशा-निदेश का अक्षरशः अनुपालन करेगा और इसके परचात ही नामांकित एवं अध्ययनरत छात्र परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए फार्म भर सकते हैं।

7. इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित शर्तों की पूर्ति के संदर्भ में संस्थान की जांच सत्रों राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा करवाकर सतुष्ट होने के उपरांत ही मान्यता संबंधी कार्रवाई करेंगे।

8. राज्य सरकार को संस्थान द्वारा किसी भी विन्दु पर अनियमितता के संबंध में यदि प्रतिवेदन प्राप्त होता है तो राज्य सरकार नियमानुसार संस्थान का अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले सकती है।

विश्वासभाजन,

*Mamta*  
निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)  
सह-संयुक्त सचिव,  
मानव संसाधन विकास विभाग,  
भारतखंड, रांची।



प्रति सचिव - मानवीय विकास विभाग, भारतखंड, राजधानी, दिल्ली।  
निदेशक, क्षेत्रीय समिति, भुवनेश्वर।  
निदेशक, क्षेत्रीय समिति, कोलकाता।  
निदेशक, क्षेत्रीय समिति, गुवाहाटी।  
निदेशक, क्षेत्रीय समिति, शिलांग।  
निदेशक, क्षेत्रीय समिति, देहरादून।  
निदेशक, क्षेत्रीय समिति, जयपुर।  
निदेशक, क्षेत्रीय समिति, बंगलूर।  
निदेशक, क्षेत्रीय समिति, चेन्नई।  
निदेशक, क्षेत्रीय समिति, मद्रास।  
निदेशक, क्षेत्रीय समिति, पुणे।  
निदेशक, क्षेत्रीय समिति, मुंबई।  
निदेशक, क्षेत्रीय समिति, कोयंबूर।  
निदेशक, क्षेत्रीय समिति, नाशिक।  
निदेशक, क्षेत्रीय समिति, अहमदाबाद।  
निदेशक, क्षेत्रीय समिति, सूरत।  
निदेशक, क्षेत्रीय समिति, वडोदरा।  
निदेशक, क्षेत्रीय समिति, राजकोट।  
निदेशक, क्षेत्रीय समिति, भुवनेश्वर।  
निदेशक, क्षेत्रीय समिति, रांची।  
निदेशक, क्षेत्रीय समिति, देहरादून।  
निदेशक, क्षेत्रीय समिति, जयपुर।  
निदेशक, क्षेत्रीय समिति, बंगलूर।  
निदेशक, क्षेत्रीय समिति, चेन्नई।  
निदेशक, क्षेत्रीय समिति, मद्रास।  
निदेशक, क्षेत्रीय समिति, पुणे।  
निदेशक, क्षेत्रीय समिति, मुंबई।  
निदेशक, क्षेत्रीय समिति, कोयंबूर।  
निदेशक, क्षेत्रीय समिति, नाशिक।  
निदेशक, क्षेत्रीय समिति, अहमदाबाद।  
निदेशक, क्षेत्रीय समिति, सूरत।  
निदेशक, क्षेत्रीय समिति, वडोदरा।  
निदेशक, क्षेत्रीय समिति, राजकोट।